



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड १६] काठमाडौं, ज्येष्ठ १३ गते २०२६ साल [संख्या ७

श्री ५ को सरकार
भूमिसुधार मन्त्रालयको
सूचना

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छः—

श्री आर.आर. डिप्री कलेज (जनकपुर धाम) लाई जगा बिगाह द३-४-१५ त्रियासी बिगाहा चार कट्टा पन्धु धूर सो कलेजको काममा रहेसम्म भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसारको जग्गाको हवबन्दीमा छुट् दिएको छ ।

आज्ञाले—
रामबहादुर रावल
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

(१)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

କଣ୍ଠା ଲାଗୁ

ଫର୍ମ

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର କିମ୍ବା

୧ ମାର୍ଚ୍ଚି ୧୯୦୯ ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଡାମତାକ [୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚି]

କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର

କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର କିମ୍ବା

-ର କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର କିମ୍ବା

କାନ୍ତିକର ଜାଇପଟ୍ଟାର
କିମ୍ବା

୧୯୦୯

(୧)

୧୯୦୯

ଆଧିକାରିକତା ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗବାଟ ପ୍ରମାଣିତ ଗରିଏପଛି ମାତ୍ର ଲାଗୁ ହୁନେଛା